पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

<u>प्रेस–विज्ञप्ति</u>

<u>विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 10 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

<u>दिनांक 09–09–2020</u>

दिनांक 08/09–09–2020 को रात्रि थाना हजरतगंज 02, विभूतिखण्ड 02, काकोरी 01, अमीनाबाद 01, अलीगंज 04 अभियुक्त गिरफ्तार। **<u>इस प्रकार वांछित में कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>**

<u>डी0सी0पी0 पूर्वी</u>

<u>गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।</u>

<u>थाना पीजीआई</u>:–दिनांक 08.09.2020 को श्री कण्व कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पीजीआई लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01–वीर यादव पुत्र विजय यादव निवासी अम्बेडकर पुरम् तेलीबाग थाना पीजीआई के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

<u>डी0सी0पी0 पश्चिमी</u>

<u>गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।</u>

<u>तालकटोरा:–</u>दिनांक 08–09–2020 को श्री धनन्जय सिंह प्रभारी निरीक्षक तालकटोरा लखनऊ द्वारा अभि0 1–मो0 समीर पुत्र मो0 इदरीश निवासी बी0 ब्लाक राजाजीपुरम् थाना तालकटोरा लखनऊ 2–विकास चतुर्वेदी पुत्र राधेश्याम चतुर्वेदी निवासी ई–3292/9 राजाजीपुरम् थाना तालकटोरा लखनऊ के विरुद्व गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

<u>भा0द0वि0</u>

<u>थाना गोसाईगंज</u>:–दिनांक 09.09.2020 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि श्री रामसागर पुत्र श्री दयाराम निवासी– ग्राम डलौना थाना गोसाईगंज लखनऊ ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दिया कि आज दिनांक 09–09–2020 को समय प्रातः 08.00 बजे उसे जानकारी हुई कि उसके भांजे हेमन्त कुमार उर्फ पुतान उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र स्व0 सन्ता प्रसाद निवासी नया चांद सराय मजरा बलियाखेड़ा थाना गोसाईगंज लखनऊ ने अपने मकान की तीसरी मंजिल पर बने अपने कमरे में पंखे में रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री अजय कुमार चौरसिया थाना गोसाईंगज मो0 7355089576 द्वारा आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक ड्राइवर था। मृतक के दो बच्चे हैं।

<u>नगराम:–</u>दिनांक 09–09–2020 को थाना नगराम द्वारा बताया गया कि वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र राधेलाल निवासी जहानपुर थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी ने थाना नगराम पर सूचना दिया कि वादी के बहनोई रमेश पुत्र स्व0 छविनाथ उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम जौखण्डी थाना गोसाईगंज लखनऊ जो दिनांक 08–09–2020 को अपनी मोटर साइकिल डिस्कवर नं0 यूपी 32 डीआर–7014 से बहरौली से गंगागंज जा रहे थे, कि समय करीब 07.30 बजे सांय देशी शराब ठेका बहरौली के पास आ रहे ट्रक नं0 यूपी 41 टी–1600 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी के बहनोई की मोटर साइकिल में पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे वादी के बहनोई रमेश की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना नगराम पर मु0अ0सं0 149/2020 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री देवेन्द्र सिंह मो0नं0 8791827019 द्वारा की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक खेती/मजदूरी करता था।